चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 14.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 14.04.2024 को संविधान निर्माता बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा द्वारा बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गयी । अपर पुलस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रभारी एलआईयू श्री सूर्यकान्त अरुण राय, प्रभारी सोशल मीडिया सेल श्री निशिकान्त राय, प्रधान लिपिक श्री अनिल मोहन शुक्ला, वाचक श्री पारितोष दिक्षित, डायल 112 प्रभारी श्री शिवमूरत यादवन तथा पुलिस कार्यालय में उपस्थित समस्त अधि0/कर्मचारियों द्वारा बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजली दी गयी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जीवन एवं उनके कृतित्व पर प्रकाश डालते हुये सभी को सम्बोधित किया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा-गर्दी करने वाले 04 अभियुक्तों के विरुद्ध 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की।

(क). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा अभियुक्त 1.बुद्धविलास उर्फ बडन उर्फ बडा भइया पुत्र शत्रुजीत निवासी रामपुर कल्याणगढ़ 2.कपिल सोनकर पुत्र संतोष निवासी पटा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ख). प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त 1. सत्येन्द्र उपाध्याय पुत्र राजेन्द्र उपाध्याय निवासी महुआ गांव 2. शिवसहाय पुत्र गयाप्रसाद निवासी कुसियापुरवा कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजोल नागर एवं उनकी टीम द्वारा ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये अभियुक्त 1. गोलू कुमार पुत्र अर्जुन निवासी चमदुलिया थाना गोला जनपद रोहतास बिहार 2.विक्रम कुमार पुत्र पुष्पराम निवासी कृष्णदन्तपुर थाना राजातालाब जनपद वाराणसी 3.राणा प्रताप सोनकर उर्फ लवकुश पुत्र केशव सोनकर 4. उमेश वर्नवाल पुत्र स्व0 ईश्वरदयाल निवासीगण आसनसोल थाना नार्थ जनपद वर्धमान पश्चिम पंगाल 5. विनोद कुमार पुत्र रामसागर निवासी सुजातपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही 6. राजकुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी पुरुषोत्तमपुर थाना औराई जनपद भदोही 7.अर्जुन गुप्ता पुत्र मिठाईलाल निवासी बिटठलपुर थाना औराई जनपद भदौही समस्त हाल पता शास्त्रीनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 3270/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 1030/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किय गया।

बरामदगीः-

1.मालफड़ 3270/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते

2.जामा तलाशी से 1030/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजोल नागर थाना मानिकपुर

2.उ0नि0 यूटी श्री सौरक्ष

3.आरक्षी दीपेश यादव

4.आरक्षी विनोद यादव

5.आरक्षी अमित द्विवेदी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 06 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी विकाश यादव द्वारा मु0नं0 392/2022 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राम मोहन श्रीवास्तव निवासी एसडीएम कालोनी तथा मु0नं0 162/2019 धारा 504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त भैंरो पुत्र चुन्ना निवासी शोभा सिंह का पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी सुरेन्द्र कुमार द्वारा मु0नं0 348/2018 धारा 452,323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राजा पुत्र इमामुद्दीन निवासी दुर्गा कुंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी तथा उनकी अतुल परिहार द्वारा मु0नं0 584/2005 धारा 452,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र प्रजापति पुत्र भगवानदीन निवासी कटरा गूदर सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv), उ0नि0 श्री उमाशंकर यादव चौकी सीतापुर तथा उनके हमरारी आरक्षी अभिषेक सिंह, आऱक्षी अमर सिंह व महिला आरक्षी राखी द्वारा मु0नं0 52/2017 धारा 323,504,506 भादवि0 व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त मुखिया उर्फ मुकेश पुत्र राज करन निवासी चितरा गोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v). उ0नि0 श्री सुशील चन्द्र निगम थाना बहिलपुरवा तथा हमराही उ0नि0 यूटी0 श्री अनुभव वर्मा, आरक्षी रोहित सिंह व आरक्षी जिन्तेद्र मौर्य द्वारा मु0न0 57/2022 धारा 379,411,413,414,467,468,471 भादवि0 का वारण्टी अभियुक्त संजय दर्जी पुत्र बल्देव प्रसाद निवासी रुखमा खुर्द थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपहतों एवं गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश कुमार मौर्य के मार्गदर्शन में थाना बरगढ़ पुलिस ने घर से बाहर खेलने गयी बच्ची को बरामद कर सकुशल बरामद पर परिजन को सुपुर्द किया।

उल्लेखनीय है आज दिनांक 14.04.2024 को यशोदा देवी पत्नी स्व0 अशोक कुमार निवासी जमीरा थाना बरगढ़ द्वारा सूचना दी गयी की कुमारी दुखी प्रजापति पुत्री स्वo सियाराम प्रजापति उम्र करीब 08 वर्ष घर से खेलते खेलते कही गुम हो गई, इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर बच्ची की बरामदगी हेतु स्वम् अथक प्रयास करते हुए महज 01 घंटे में बच्ची को गांव के ही पास से बरामद कर म0का0 समीक्षा यादव के देखरेख में महिला हेल्पडेस्क पर बैठाया गया तथा बच्ची के दादी यशोदा देवी को बुलाकर पहचान कराकर सुपुर्द किया गया। बच्ची को पाकर दादी के चेहरे की मुस्कान वापस आयी।

बरामद एवं सुपुर्दगी करने वाली टीम का विवरण–

1. प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ राकेश मौर्य
2. आरक्षी अखिलेश कुमार
3. महिला आरक्षी समीक्षा यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्यामप्रताप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कमलेश निषाद पुत्र स्व0 बुद्धू निवासी मकरी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 30 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60(2) आबकारी अधिनियन के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

30 लीटर कच्ची शराब
शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा थाना पहाड़ी
2.आरक्षी विनोद कुमार
3.महिला आरक्षी नेहा अहिरवार

प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस
थाना मऊ पुलिस ने 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के निर्देशन में उ0नि0 श्री रामकृत यादव तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 08/2024 धारा 354A,323,504,506 भादवि0 व 7/8 पॉस्को एक्ट के वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र जुगुल निवासी बेलहा मजरा बरियारी कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया तथा उ0नि0 श्री इंद्रजीत गौतम तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 112/2024 धारा 307,323 भादवि0 के वांछित अभियुक्त सुभाष चंद्र पाण्डेय पुत्र लक्ष्मी नारायण पाण्डेय निवासी कस्बा मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामकृत यादव थाना मऊ

2. उ0 नि0 श्री इंद्रजीत गौतम
3. मुख्य आरक्षी दौलत सिंह
4. आरक्षी राकेश कुमार